[2018] 4 एससीआर 875

गंगा मलिक

बनाम

भारत संघ और अन्य।

(रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 201 सन 2017) 16 मार्च, 2018

[ए० के० सीकरी और अशोक भूषण, जे.जे.]

रिट: परमादेश रिट – पुलिस उप–निरीक्षक के पिता द्वारा दायर रिट याचिका, जो तब मारे गए थे जब उनके बेटे को पुलिस दल बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ा था – बदमाशों का पीछा करते समय, बदमाशों ने गोली चला दी जो याचिकाकर्ता के बेटे को लगी और परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई – रिट याचिका में यह प्रार्थना थी कि याचिकाकर्ता और परिवार के अन्य सदस्यों के जीवन की सुरक्षा की जाये। पश्चिम बंगाल राज्य को मुकदमे और निर्देश को शीघ्र समाप्त करने का निर्देश देना अपने बेटे को खोने की अपूरणीय क्षति के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए राज्य को – रिट याचिका में कहा गया था कि मामला पहले से ही दर्ज किया गया था और मुकदमा चल रहा था – जहां तक आपराधिक मामले की सुनवाई का संबंध है, कानून अपना काम करेगा – जहां तक अन्य राहतों का संबंध है, याचिकाकर्ता के लिए उचित राहत के लिए उत्तरदाता नंबर 2 से संपर्क करने का विकल्प खुला है – याचिकाकर्ता को उक्त स्वतंत्रता प्रदान करके, रिट याचिका खारिज की जाती है।

आपराधिक मूल क्षेत्राधिकार,रिट याचिका।

2017 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 201।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

याचिकाकर्ता की ओर से पीएस पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री नताशा डालमिया, हर्षिका वर्मा, साक्षी कक्कड़, सोमिरन शर्मा, अधिवक्ता। सुश्री वी मोहना, कपिल सिब्बल, एएम सिंघवी, राकेश द्विवेदी, कल्याण बनर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता एस वसीम ए कादरी, सुश्री माधवी दीवान, सुश्री निधि खन्ना, आयुष पुरी, मुकेश कुमार मारोरिया, सुहान मुखर्जी, कुणाल चटर्जी, राजा चटर्जी, सुश्री नंदनी मुखर्जी, चंचल कुमार गांगुली, पीयूष सचदेव, अदील अहमद, सुश्री रूना भुइयां, सुश्री नंदिनी सेन मुखर्जी, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय अशोक भूषण, जे.1 द्वारा सुनाया गया था।

इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनके बेटे, अमिताव मलिक, पुलिस उप–निरीक्षक की 13.10.2017 को हत्या कर दी गई थी। जब अमिताव मलिक सहित पुलिस पार्टी कई आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढी थी, जो छोटा रंगीट नदी के दक्षिण तट, पीएस सदर, दाजिलिंग में डेरा डाले हुए थे। बदमाशों का पीछा करते हुए पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की गई, जिसमें याचिकाकर्ता के बेटे अमिताव मलिक की मौत हो गई। इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की है:

(ए) उत्तरदातागण को यह सुनिश्चित करने के लिए परमादेश या कोई अन्य उचित रिट आदेश या निर्देश जारी करें कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

(ख) उत्तरदाता संख्या 2, पश्चिम बंगाल राज्य को दिनांक 13.10.2017 के सदर पीएस केस नंबर 213 में मुकदमे को समयबद्ध तरीके से शीघ्र समाप्त करने और दोषियों को दंडित करने के लिए परमादेश या कोई अन्य उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश जारी करें।

(ग)याचिकाकर्ता को अपने बेटे को खोने की अपूरणीय क्षति के लिए याचिकाकर्ता को मुआवजे का भुगतान करने के लिए परमादेश या कोई अन्य उचित रिट आदेश या निर्देश जारी करें, जिसे मौद्रिक शर्तों में निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

2. याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में कहा है कि केस नंबर 213 पहले ही पीएस सदर में दर्ज किया जा चुका है जिसमें चार्जशीट भी जमा की जा चुकी है और विचारण चल रहा है। जहां तक आपराधिक मामलों की सुनवाई का संबंध है, कानून अपना काम करेगा। जहां तक अन्य राहतों का संबंध है, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता उचित राहत के लिए उत्तरदाता संख्या 2 से संपर्क कर सकता है।

3. याचिकाकर्ता को उपरोक्त स्वतंत्रता प्रदान करके, रिट याचिका खारिज की जाती है।

(तबरेज अहमद)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कक्ष सं०–10 बरेली

J.O CODE NO. UP 6298